बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)

(कल्याण शाखा)

दूरभाष सं0–06132242305 (का0) ई–मेल..sdmbarh@gmail.com

संसोधित विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन

1. अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन करने की तिथि :– 05.08.2026
2. प्रखण्डवार/नगर निकायवार रिक्तियों का प्रकाशन करना :– 18.08.2026
3. आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि :– 20.08.2026 से 27.08.2026
4. मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करने की तिथि :– 28.08.2026
5. चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदित करने के तिथि :– 29.08.2026
6. चयन सूची का अंतिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना,
   आपत्ति का निराकरण करके नियोजन सूची का प्रकाशन की तिथि :– 31.08.2026 से 05.09.2026
7. नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण करने की तिथि :– 07.09.2026

रिक्तियों की विवरणी:–

क्र0 सं0	प्रखण्ड/नगर परिषद्	पंचायत/वार्ड का नाम	रिक्तियों की संख्या	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
01	नगर परिषद्, बख्तियारपुर	वार्ड संख्या–03	01	पासी	महिला

1. महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।
2. **चयन हेतु अहर्त्ता:–** (क) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। (ख) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में विकास मित्र का चयन किया जाना है, वही के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। (ग) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (घ) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है:– (1) नन–मैट्रिक, (2) नौवी पास, (3) आठवीं पास, (4) सातवी पास (5) छठ्ठा पास। सर्वप्रथम नन–मैट्रिक, उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध नहीं रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे– वैसी स्थिति में जिस आवेदन पर उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा। अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वयंविवेक से आवेदक का चयन करेंगें। विकास मित्र का चयन मागदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जाएगा। (ड़) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। (च) मैट्रिक या समकक्ष से सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। (छ) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. **आयु सीमा:–** आवेदक की उम्र दिनांक– 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदो के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. **जाति बहुलता:–** पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)/(शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गयी है जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति मे विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से किया जायेगा।
5. **नियोजन की अवधि:–** विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।
6. **मानदेय:–** प्रत्येक विकास को प्रतिमाह सरकारी नियमानसुार मानदेय भुगतान बिहार महादलित विकास मिशन, पटना से किया जायेगा।
7. **चयन की प्रक्रिया:–**

- आवेदन विहित प्रपत्र–06 में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड कार्यालय/नगर परिषद/नगर पंचायत/कार्यालय संबंधित अनुमण्डल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (ग्रामीण)/संबंधित नगर परिषद (शहरी) के कार्यालय होगा।
- आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक:–

क. मैट्रिक सत्यापित (राजपत्रित पदाधिकारी/सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/उच्च विद्यालय के शिक्षक के द्वारा) अंक पत्र एवं मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र, नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति/आठवीं से पांचवी पास तक के अभ्यथियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

ख. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र। (महिलाओं के मामले में पिता के नाम एवं पता से निर्गत)

ग. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र।

घ प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।

ड. अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।

8. सामान्य निदेश :– कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्रों के पदो की जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय–समय पर प्रेषित किया जायेगा।

नोट:– अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना एवं बिहार महादलित विकास मिशन ,पटना से सम्पर्क किया जा सकता है।

- ➢ बिहार महादलित विकास मिशन के हेल्प लाईन पटना का सम्पर्क नं0 18003456345 से सम्पर्क किया जा सकता है।
- ➢ आवेदन का प्रपत्र वेबसाईट www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है।
- ➢ रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय में सम्पर्क करें।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़

PR. No.10089 (District) 2026-27

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें